न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 49/2025

1. नौरगलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– रेस्पोडेन्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांक–23/12/2025

अपीलांट नौरगलाल पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर द्वारा तहसीलदार राजस्व नोहर के प्रकरण संख्या 13/2025 अनवान सरकार बनाम नौरंग लाल आदि में आदेश दिनांक 29.07.2025 को अपास्त करनें बाबत अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के खाता सं. 242/222 के ख.न. 163 में 155 बीघा 11 बीघा भूमि एवं खाता सं. 245/225 के ख.न. 99 की 65 बीघा भूमि काबिल काश्त एवं कृषि योग्य है उक्त भूमि में अपीलान्ट की सन् 1970 से पहले उक्त दोनों खसरेजात में ख.नं. 99 में 15 बीघा ख.नं. 163 10 बीघा कुल 25 बीघा भूमि पर काश्त करता आ रहा है। उस पर तावान कायम होता रहा है। अपीलान्ट भूमि सदभाव काश्तकार है।

2. उक्त गावं नोहर फीडर के अन्तर्गत आ गया [illegible] में पेयजल हेतु पाईप लाईन बिछी हुई है एवं ना को[illegible] की आवश्यकता है ग्रामवासियों को पंचायत को [illegible] करने में कोई ऐत[illegible] है तथा प्रार्थी गरीब एवं भूमिहीन काश्तकार है। [illegible]जिविका का यही मात्र [illegible] जरिया है। अपीलान्ट वाद भूमि को गत 25–26 वर्षो से निरन्तर काश्तकार आ रहा है। उक्त भूमि रिफाये आम से रूप में से कभी भी काम नही आई। उन दोनो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

खासरेजात, जो समीप स्थल है, जो अपीलान्ट के कब्जा काश्त है। अपीलान्ट ख.नं. 99 की 15 बीघा और ख.नं. 163 की 10 बीघा भूमि कुल 25 बीघा भूमि का आवंटन करवाने का पात्र है। मौके पर काई गोचर अथवा पायतन जैसी कोई स्थिति या भूमि की किस्म नही है। मातहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश गैर कानूनी ढंग से पारित किया है,जो अपास्तनीय है।

3. वाद भूमि डी. कोलोनाईजस हो चुकी है तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र नं. एफ – 3 (29) कोलो./86/दिनांक 26/11/2002 के अनुसार नियमन का पात्र है तथा जिस हेतु न्यायालय श्रीमान सहायक कलैक्टर एंव उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर नियम 20 राजस्थान लेण्ड रेवन्यु रूल्स 1970 के तहत नियमन हेतु कार्यवाही कर रखी है तथा जिसमें नौरंगलाल बनाम स्टैट के नाम से प्रकरण जैरकार है, जिसमें आयन्दा तारीख पेशी दिनांक 12.08.2025 नियत है। उक्त कार्यवाही के जैरकार रहते धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम सन् 1954 के तहत कार्यवाही धारा 10 सीपीसी के तहत **Res-Sub Judice** है तथा स्थगित किये जाने योग्य है। इसी कानूनी अधिकार के रहते मातहत अदालत ने गैर कानूनी ढ़ंग से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अपास्तनीय है।

4. मातहत अदालत ने वार्षिक लगान का 50 गुनातक व सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश गैर कानूनी ढंग से पारित किया है जबकि धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत फसल के मुल्य की वसुली के तहत आदेश अनुज्ञेय नही है। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्व द्वारा जगदीश बनाम स्टेट अपील सं. 4636/एल.आर. हनुमानगढ़ निर्णय दिनांक 30.06.2017 में पारित किया है तथा इसी प्रकार से सिविल कारावास देने के लिए रेस्पोडेन्ट सक्षम नही है। उपरोक्त शक्ति कलक्टर को है जैसा कि माननीय राज. उच्च न्यायालय की डबल बैच द्वारा उमाशंकर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान **D.B. Civil Special Appeal (Writ) No –832 Of 2001** निर्णय दिनांक 05.02.2015 में पारित किया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय विधि की अवहेलना में पारित होने से अपास्तनीय है।

5. माननीय श्रीमान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर के समक्ष नियम 20 राजस्थान लेण्ड रेवन्यू रूल्स 1970 प्रकरण नौरंगलाल बनाम स्टेट जैरकार है उस प्रकरण के जैरकार रहते अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण **Res-Sub Judice** है तथा धारा 10 सीपीसी के तहत **Bard By Law** है, इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:42 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 49/2025 अनवान नौरंगलाल बनाम स्टेट

6. अपील अपीलान्ट न्यायालय के अधिक्षेत्र की है व अन्दर मियाद है तथा मुर्करर न्याय शुल्क पर तहरीर कर प्रस्तुत है।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.07.2025 प्रकरण सं. 2025/13 बअनवानी सरकार बनाम नौरंगलाल आदि बअदालत श्रीमान तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर अपास्त फरमाया जावे।

पत्रावली पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया तो पाया कि हल्का पटवारी किंकराली की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट नौरंगलाल पुत्र सहीराम द्वारा खसरा नं0 163 की 38.280 गौचर भूमि में से 2.00 हैक्टेयर भूमि पर ग्वार की फसल काश्त कर रखी है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 दिनांक 07.08.2025 को निर्णय पारित कर गौचर भूमि पर अतिक्रमण करनें के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाकर 500 रूपये तावान से दण्डित किया गया है।

न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 13/2025 में दिनांक 29.07.2025 को नोटिस एंव दिनांक 07.08.2025 को निर्णय पारित करनें में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होनें से खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 22/12/25 को सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:58:42 IST
Reason: SelfAttested

(आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)